विद्यार्थियों का शतप्रतिशत नेत्र परीक्षण कराएं : सीईओ जिला पंचायत

नेत्रज्योति एवं निःक्षय अभियान के प्रगति की समीक्षा बैठक में निर्देश

मण्डला,देशबन्धु। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने जिले में संचालित नेत्रज्योति एवं निःक्षय अभियान के प्रगति की विकासखंडवार विस्तार से समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि नेत्र ज्योति अभियान के तहत छूटे हुए प्रत्येक छात्र-छात्राओं के नेत्र की जांच कराएं। सभी एसडीएम अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए शतप्रतिशत छात्र-छात्राओं का परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने कहा कि आगामी सत्र के पहले नेत्र ज्योति अभियान के तहत चिन्हित किए गए छात्र-छात्राओं को चश्मे का वितरण कराएं। उम्र के हिसाब से छूटे हुए लोगों को चिहिन्त करते हुए कैम्प पुनः आयोजित करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.सी. सरौते सहित संबंधित उपस्थित थे। 100 दिवसीय निःक्षय अभियान के प्रगति की समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने एक्स-रे की प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शतप्रतिशत लोगों का एक्स-रे सुनिश्चित कर ऑनलाईन एंट्री करें।

अभियान के अंतर्गत नोटिफिकेशन की चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करें। स्क्रीनिंग की गति बढ़ाएं, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें।

युवाओं की योग्यता और कौशल के अनुसार अवसर दिलाने का प्रयास है रोजगार मेला : कलेक्टर

मण्डला,देशबन्धु। टाउनहॉल में रोजगार युवा संगम का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के इस संयुक्त मेले में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को उनकी रुचि और कौशल के अनुसार अवसर दिलाने का एक प्रयास है। जिले में प्रतिमाह एक रोजगार मेला कराया जाता है। परीक्षाओं के पश्चात एक वृहद जिला स्तरीय मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बारहवीं की परीक्षा के बाद युवा विद्यार्थियों को सीवी तैयार करने और साक्षात्कार आदि के लिए काउंसलिंग की कार्यशालाएं आयोजित कर हम रोजगार के लिए तैयारी में उनकी सहायता करेंगे। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं को

मेले में 38 युवाओं का हुआ चयन

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। यदि युवा अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो शासन की योजनाओं का लाभ लेकर स्व रोजगार स्थापित कर सकते हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रेयांस कूमट, श्री एनके वास्कले महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र प्रबंधक बलराम यादव, जिला रोजगार अधिकारी एलएस सैयाम सहित संबंधित उपस्थित रहे। स्थानीय एवं निजी क्षेत्र की छः प्रतिष्ठित कंपनियों ने इस मेले में भाग लिया एवं 103 अभ्यर्थियों ने ऑनलाईल/ ऑफलाइन पंजीयन कराया।

मेले में उपस्थित कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने आए हुए युवाओं की विस्तार से काउंसलिंग की तथा कंपनी की सेवा शर्तें व सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कंपनियों द्वारा 32 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु प्रारंभिक चयन एवं 6 का अप्रेंटिसशिप के लिए प्रारंभिक चयन किया गया।

कलेक्टर ने किया दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ

मण्डला,देशबन्धु। जिला चिकित्सालय के एनआरसी में दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा किया गया। 18 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक संचालित होने वाले इस अभियान में बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार, रेफरल का प्रबंधन किया जायेगा। दस्तक अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना है। इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि दस्तक अभियान के दौरान 6 माह से 5 वर्ष तक के 1 लाख 16 हजार बच्चों को घर-घर जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक जाँच तथा उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कलेक्टर ने कार्यक्रम में उपस्थित कुपोषित बच्चों तथा उनके माताओं से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। कलेक्टर ने माताओं से आग्रह किया है कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बच्चों को विटामिन ए की दवा अवश्य पिलाएं। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. के.सी. सरोते, सिविल सर्जन डॉ. विजय धुर्वे सहित संबंधित उपस्थित थे।

सार-समाचार

श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम स्मृति दिवस मनाया

मण्डला,देशबन्धु। युग प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम स्मृति दिवस मंडला में श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर जी में ब्र अनुराग भैया जी के सानिध्य में आचार्य श्री का प्रथम स्मृति महोत्सव दिवस मंगलवार बहुत ही धूमधाम से सकल दिगम्बर जैन समाज मंदिर व्यवस्था कमेटी दयोदय गौशाला कमेटी महिला मंडल जैनम मंडल वालिका मंडल आदि सभी कमेटीयों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्ह जो कि डोंगरगढ से पूज्य समता सागर जी महाराज द्वारा मंत्रोचारित शुद्धिकरण व प्रतिष्ठित होकर पदाधिकारियों के द्वारा मंडला आए। जो कि 108 किलो के अष्ट धातु से निर्मित है उसकी पडाव से बस स्टैंड होते हुए श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर जी व श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर जी और कमानिया गेट से होते हुए पडाव जैन मंदिर जी में शोभायात्रा निकली पश्चात मंदिर जी के सामने ही गुरुदेव जी के चरण चिन्ह का अभिषेक शांतिधारा पूजन भक्ति आदि का कार्यक्रम अति हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ सभी ने इसमें बढचढ कर दान भी दिया । उदय चैक में रात्रि मे 7 बजे से महा आरती गायक आस्तिक भैया जबलपुर के द्वारा किया गया। साक्षात जीवन के हमारे महावीर आराध्य गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम स्मृति दिवस पर हम सभी ने उन्हें हृदय से विनयांजली दी हैं हम सभी गुरुदेव के हमेशा ऋणि रहेंगे ।आज के दिन हम सभी ने अपनी मान कषाय और अहंकार भाव को छोडकर गुरु के चरणों से आचरण की ओर अग्रसर होकर जीवन समर्पित कर दिया । उनके बताए मार्ग पर चलते रहने की भावना भांई कि गुरु जी हम भी आपके पीछे पीछे चलकर आपके गुणग्राही बने हम सभी ने अपने अपने घरों पर रंगोली डालकर शुद्ध घी के 5 दीपक प्रज्वलित किए और समस्त जैन समाज ने एक एक दीपक महाआरती में लेकर आए । गुरुदेव के प्रति जैन व अजैन सभी सहपाठियो ने गुरुदेव के प्रति अपने अपने वक्तव्य कविता उदगार आदि देकर विनयांजली मनाई।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने परेशान हो रहे जरूरतमंद

मंडला,देशबन्धु। इस समय मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आर्थिक आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरतमंदों को परेशान होना पड़ रहा है इस संबंध में चर्चा चल रही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में शीघ्रता के साथ ध्यान नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन की ही लापरवाही के कारण जरूरतमंदों को आवश्यक होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है लोक सेवा केंद्र नैनपुर में कभी सर्वर डाउन हो रहा है तो कभी पोर्टल बंद रहता है जिसकी वजह से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है ऐसी स्थिति में वहां पर आवेदन पत्र नहीं लिए जा रहे हैं लोगों की मांग है कि मंडलाजिले की तहसील नैनपुर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तत्काल जारी किए जाएं ताकि शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 अन्य परीक्षाओं के लिए या अन्य कार्यों के लिए आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किया जा सके जन अपेक्षा है ।

एकीकृत माध्यमिक शाला खलौड़ी के 2 प्राथमिक शिक्षक निलंबित

मंडला,देशबन्धु। नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास खलौड़ी विकासखंड मवई में 10 फरवरी को रात्रि में हुई पत्थरबाजी एवं एकीकृत माध्यमिक शाला खलौड़ी के शिक्षकों द्वारा छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत के संबंध में जाँच की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर एकीकृत माध्यमिक शाला खलौड़ी के प्राथमिक शिक्षक कोमल सिंह कुशराम एवं श्रीमती रम्मी सार्वे (माहिश्वरी) को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर दोनों प्राथमिक शिक्षकों को सहायक आयुक्त जनजाति कार्यविभाग मंडला द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री कोमल सिंह कुशराम एवं श्रीमती रम्मी सार्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय घुघरी जिला मंडला निहित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किया जाएगा।

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

मण्डला,देशबन्धु। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की शैक्षणिक सत्र 2024-25 की इस द्वितीय बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए पिछली वीएमसी मीटिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रत्येक बिन्दु पर जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष की समाप्ति के पहले विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली सामग्री क्रय आदि की प्रक्रिया पूर्ण करें। विद्यार्थियों को

जनजातीय क्षेत्र की परंपराओं से जोड़े रखने के लिए जनजातीय नृत्यों के प्रशिक्षण भी दिलाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी सत्र की शुरूआत में 9वी से 12वी तक के बच्चों की साईंस तथा एआई पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, जिससे विद्यार्थी इस तरह के प्रतिस्पर्धाओं के विषय में भी जागरूक हो सकें। केन्द्रीय विद्यालय के पुराने भवन के नवीनीकरण के संबंध में उन्होंने पीआईयू को एक सप्ताह के अंदर इस्टीमेट तैयार करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट, केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

अब बच्चों को भी पार्क घूमने के लिये देना होगा शुल्क

सुबह 6 से 8 रखा गया निःशुल्क, प्रवेश शुल्क 5 रूपये

मण्डला। नगरपालिका से मिली जानकारी अनुसार नपा द्वारा हाल ही में नेहरू पार्क और रेवांचल पार्क के संचालन के लिए ई-निविदा निकाली गई थी। जिसके लिए 2 लाख 25 हजार रूपये आफसेट प्राईज निर्धारित किया गया था। ई-निविदा के बावजूद महज 4 आवेदन ही आए, निविदा प्रक्रिया के बाद 6 लाख रूपये में एक ठेकेदार को दोनों पार्क ठेके में दे दिए गए हैं, ठेकेदार को 3 साल के लिए पार्क संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पार्क खोला जाएगा। बताया गया कि

रोजाना सुबह 6 से 8 बजे तक पार्क में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

शराब की बोतलों से बढाई सुंदरता-मंडला नगर पालिका प्रशासन ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित नेहरू पार्क को सजाने के लिए शराब की खाली बोतलों का उपयोग किया है। इन बोतलों में रंग-बिरंगी लाइटें लगाकर पार्क की सुंदरता बढ़ाई गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े के अनुसार, 24 वार्डों से एकत्रित शराब की बोतलों से यह सजावट की गई है, जिससे बोतलों का पुनः उपयोग हुआ और पार्क की सुंदरता में वृद्धि हुई। जानकारी अनुसार मंडला के पार्कों में प्रवेश शुल्क 5 रूपये रखा गया है। लोगों का कहना है कि शुल्क लगाये जाने से आवारा और हुडदंगी लोगों का पार्क में प्रवेश नहीं रहेगा।

प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री ने मंडला के वरिष्ठ नेता श्री चंदन लाल चन्द्रोल के निधन पर जताया शोक

सांसद श्री कुलस्ते चंदन लाल के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की

मण्डला,देशबन्धु। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने मंडला जिले के बम्हनी बंजर निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता 93 वर्षीय चंदन लाल चन्द्रोल जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एवं जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने बम्हनी बंजर स्थित उनके निवास पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए तथा पार्टी का ध्वज उढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की । स्वर्गीय चन्द्रोल का अंतिम संस्कार बम्हनी बंजर स्थित मुक्तिधाम में किया गया। मुखाग्नि उनके सुपुत्र श्री नर्मदा चन्द्रोल ने दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री चन्द्रोल का निधन संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही मीसाबंदी भी थे। उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग पार्टी को समय-समय पर मिलता रहा है। श्री शर्मा ने परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने एवं अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चंदन लाल चन्द्रोल का निधन हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार करने के लिये उनका परिश्रम सदैव याद किया जायेगा, चंद्रोल जी का पूरा जीवन संगठन के लिए समर्पित रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं अपने श्री चरणों में स्थान दें।

लेनदेन के विवाद में की थी हत्या, तीन गिरफ्तार

दमोह, देशबन्धु। कोतवाली पुलिस ने हत्या का खुलासा कर बताया कि 15 फरवरी को थाना कोतवाली को योगेश पिता जगदीश विश्वकर्मा निवासी सिविल वार्ड दो दमोह से सूचना प्राप्त हुई कि उसके पिता जगदीश विश्वकर्मा की किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी है। उनका शव वन डिपो जबलपुर रोड में पड़ा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना कोतवाली, दमोह देहात व फोरेंसिक की टीम घटना स्थल पर रवाना की गई और घटना स्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 133/25 धारा 103 (1) 238 बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व टीम गठित कर जांच प्रारंभ की गई।

21 फरवरी तक क्रय किए जा सकेंगे कम्पोजिट दुकानों के एकल समूहों के नवीनीकरण हेतु आवेदन

मण्डला,देशबन्धु। मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-47, 14.02.2025 में प्रकाशित की गई है। आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों/समूहों का निष्पादन 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा प्रथमतः नवीनीकरण एवं लाटरी द्वारा तथा शेष मदिरा दुकानों/समूहों का ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। जिले की समस्त मदिरा दुकानें (वाईन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात् मदिरा दुकानों पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान पर बैठकर मदिरा पीने की सुविधा अनुमत नहीं होगी। नवीनीकरण, लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय जिला आबकारी कार्यालय मण्डला से 21 फरवरी 2025 प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जा सकेगा। नवीनीकरण आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय मण्डला में 21 फरवरी 2025 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 6 बजे तक जमा किया जा सकेगा। नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लाटरी आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय से 22 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 27 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे तक क्रय किये जा सकेंगे। इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय मण्डला में 22 से 27 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।

नवीनीकरण/लॉटरी से निष्पादन की प्रक्रिया, शर्तें एवं निर्बंधन मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है। मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु नवीनीकरण के लिये वर्तमान ठेकेदार ही पात्र होगा। लॉटरी निष्पादन हेतु कोई भी पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/कन्सॉर्टियम भाग ले सकेगा। आवेदकों को ई-आबकारी पोर्टल पर कान्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिले में वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 50,000 के मान से प्रभारित किया गया है। लॉटरी आवेदन पत्र का मूल्य प्रति समूह रूपये 30,000 होगा। आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, मण्डला से प्राप्त की जा सकती है।

निरीह पशुओं के हितार्थ जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन

मंडला,देशबन्धु। जिले में निरीह पशुओं के संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जनसुनवाई में पशु अधिकार कार्यकर्ता निशा सिंह ने ज्ञापन सौंपा गया एवं समस्याओं के समाधान हेतु गुहार लगाई। ज्ञापन में पशुओं के लिए बेहतर देखभाल, चिकित्सा सुविधाएं, और उनके अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई।

ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय न्याय संहित 325 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 वन्य जीव संरक्षण अधि. 1972 मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51एजीएच करूणा भाव रखने अनुच्छेद 21 पशुओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भी समय पर पशुओं की बदत्तर स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुये केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिये है। मांग की गई है कि पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जिले में पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और उन्हें आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करने की आवश्यकता। पशु संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन निरीह पशुओं के प्रति क्रूरता और उपेक्षा के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग। सार्वजनिक जागरूकता अभियान नागरिकों को पशु अधिकारों और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन। पशु आश्रय गृहों की स्थापना बेसहारा और घायल पशुओं के लिए आश्रय गृहों की स्थापना और उनका उचित प्रबंधन सहित अनेक मांगों में ज्ञापन दिया गया है। आशा की गई है कि इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन उचित कदम उठाएगा और निरीह पशुओं के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा।

न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला, (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी-मोहम्मद सैफी)

व्य. वाद स्त्र5मांक 132/2024

नियत, दिनांक 05.03.2025

श्रीमति कौशल्या बाई ......वादिनी

विरूद्ध

श्रीमति सावित्री व अन्य .....प्रतिवादीगण

आम-इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, वादिनी श्रीमति कौशल्या पति स्व. कालीचरण आयु करीब जाति अहिर निवासी ग्राम बनहेरी पोस्ट खजरी तहसील घुघरी जिला मण्डला के द्वारा इस न्यायालय में व्यवहार वाद वास्ते घोषणा का प्रस्तुत किया गया है, वादिनी के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वादिनी स्व. कालीचरण पिता माहू लाल जाति अहीर की वैध विवाहित पत्नि है, और उसकी मृत्यु उपरांत पारिवारिक पेशन प्राप्त करने की अधिकारनीय है गोप एवं यादव अहीर जाति के अंतर्गत है और स्व. कालीचरण का इन्ही दस्तावेजों में कालीचरण गोप एवं किन्ही दस्तावेजों में कालीचरण यादव त्रुटिवश लिखा है किन्तु दोनो ही एक व्यक्ति है जो वादिनी का पति हैं। इसी प्रकार वादिनी का घरेलू नाम रामकली किन्ही शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है कौशल्या एवं रामकली पृथक पृथक महिला नहीं है वरन् एक ही महिला के दो नाम है जो स्व. कालीचरण की वैध विवाहिता पत्नि है। किन्ही भी अभिलेखों में गोप और यादव पृथक पृथक लिखा होने तथा कौशल्या व रामकली लिखे होने पर भिन्नता प्रकट होती है किन्तु कौशल्या रामकली एक ही और स्व. कालीचरण की वैथ विवाहिता पत्नि हैं, कालीचरण यादव पृथक पृथक व्यक्ति नही है। अतः प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 05.03.2025 नियत हैं, जिस किसी को भी कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक को न्यायालीन समय स्वयं या अपने अधिवक्ता प्रतिनिधि जिसे प्रकरण की संपूर्ण जानकारी हो के माध्यम से मय दस्तावेजों जवाब आपत्ति पेश करे उक्त दिनांक को अवकाश की दशा में आगामी न्यायालीन कार्य दिवस पर उपस्थित होंवें उक्त दिनांक तक दावा/आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु यह न्यायालय अग्रसर होगी।

अतः आज दिनांक 14/02/25....... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

स्थान - मण्डला

दिनांक - 14/02/2025

(मोहम्मद सैफी)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश

कनिष्ठ खंड मंडला